ब्रह्मर्षि-देश

के

आर्य्य समाजों के नियम और उपनियम

सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य्यं करवावहै ॥

तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ॥ तैत्तरीय

आरण्यके । नवम प्रपाठके । प्रथमानुवाके ॥

आर्यसमाज लाहौर की अन्तरंगसभा की

आज्ञानुसार मुद्रित और प्रकाशित

हुआ । सम्वत् १९३४

सं० १८७८ ई०

निउ मेडिकल हाल प्रेस में मुद्रित हुआ

दसासुमेध घाट बनारस ।

आर्य समाज के नियम।

१। सब सत्यविद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है।

२। ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है।

३। वेद सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है॥

४। सत्य ग्रहण करने, और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।

५। सब काम धर्मानुसार, अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके, करने चाहियें।

६। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।

७। सब से प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिये।

८। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।

९। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये।

१०। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये; और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें॥

आर्य्य समाज के उपनियम।

नाम।

१। इस समाज का नाम आर्य्य समाज होगा॥

उद्देश्य।

२। इस समाज के उद्देश्य वही हैं जो इसके नियमों में वर्णन किये गये हैं॥

आर्य्य।

३। जो लोग आर्य्य समाज में नाम लिखाना चाहें और समाज के उद्देश्य के अनुकूल आचरण स्वीकार करें वे आर्य्य समाज में प्रविष्ट हो सकते * हैं, परंतु उन की अठारह वर्ष से न्यून आयु न हो॥

---

* आर्य्य समाज में नाम लिखाने के लिये मंत्री के पास इस प्रकार का पत्र लिखना चाहिये कि— "मैं प्रसन्नता पूर्वक आर्य्य समाज के उद्देश्यों के (जैसा कि नियमों में वर्णन किये गये हैं) अनुकूल आचरण स्वीकार करता हूं मेरा नाम 'आर्य्यसमाज में' लिखलें"।

जो लोग आर्य्य समाज में प्रविष्ट हों वे आर्य कहलावें गे ॥

आर्य्य सभासद ।

४ क । जिन का नाम आर्य्य समाज में सदाचार से एक वर्ष* रहा हो और वे अपने आप का शतांश† वा अधिक, मासिक वा वार्षिक, आर्य्य समाज को दें ‡, आर्य्य सभासद हो सकते हैं ॥

४ ख । सम्मति देने का अधिकार केवल आर्य्य सभासदों को होगा §

५ । जो आर्य्य समाज के उद्देश्य के विरुद्ध काम करेगा वह न

परन्तु अंतरंग सभा को अधिकार रहेगा कि किसी विशेष हेतु से उन का नाम आर्य्य समाज में लिखना स्वीकार न करे ॥

* आर्य्य-सभासद बनने के लिये आर्य्य समाज में वर्ष भर नाम रहने का नियम किसी व्यक्ति के लिये अंतरंगसभा शिथिल भी कर सकती है ॥

(आर्य्य समाज में वर्ष भर रह के आर्य्य सभासद बनने का नियम आर्य्य समाज के दूसरे वर्ष से काम में आयेगा)

† राजा, सरदार वा बड़े बड़े साहूकार आदि को आर्य्य सभासद बनने के लिये शतांश ही देना आवश्यक नहीं, वे एकबारगी, वा मासिक वा वार्षिक अपने उत्साह के अनुसार दे सकते हैं ॥

‡ अंतरंग सभा किसी विशेष हेतु से चंदा न देनेवाले आर्य्य को भी आर्य्य सभासद बना सकती है ॥

§ नीचे लिखी गई विशेष दशाओं में उन आर्य्यों की भी जो आर्य्य सभासद नहीं सम्मति ली जायगी:—

(१) जब नियमों का न्यूनाधिक वा शोधन करना हो ॥

तो आर्य्य और न आर्य्यसभासद गिना जावेगा ॥

६ । आर्य्यसभासद दो प्रकार के होंगे एक साधारण आर्य्य सभासद और दूसरे माननीय आर्य्यसभासद ॥

माननीय आर्य्यसभासद वे होंगे जो शतांश दश रुपैये मासिक वा इससे अधिक हैं वा एक वेर २५० रुपैये हैं वा जिन को अंतरंग सभा विद्यादि श्रेष्ट गुणों से माननीय समझे ॥

साधारण सभा ।

७ । साधारण सभा तीन प्रकार की होगी:—

१ । समाहिक ।

२ । वार्षिक ।

३ । वैसित्तिक ।

साप्ताहिक-साधारण सभा ।

८ क । यह सभा प्रत्येक सप्ताह में एक वेर हुआ करेगी ॥

ख । उस में वेद मंत्रों का पाठ, उपासना, भजन, कीर्त्तन और व्याख्यान हुआ करेंगे ॥

ग । जो कोई समाज सम्बन्धी मुख्य बात सभा के जानने योग्य हो वह भी उस सभा में कही जायगी ॥

---

(२) जब किसी विशेष अवस्था में, अंतरंग सभा उन को सम्मति देगी योग्य और आवश्यक समझे ॥

वार्षिक साधारण सभा ।

९ क । यह सभा प्रतिवर्ष एक बेर नीचे लिखे प्रयोजनों के लिये हुआ करेगी :—

१ । समाज के वार्षिक उत्सव करने के लिये ॥

२ । अंतरंग सभा के प्रतिष्ठित सभासद और अधिकारियों के नियुक्त करने के लिये ॥

३ । समाज के पिछले वर्ष का वृत्तान्त सुनने के लिये ॥

ख । इस सभा के होने के समय आदि का विज्ञापन एक महीना पहिले दिया जावेगा ।

नैमित्तिक साधारण सभा ।

१० क । यह सभा जब कभी आवश्यकता हो किसी विशेष काल के लिये नीचे लिखी हुई दशाओं में की जायगी :—

१ । जब प्रधान और मंत्री चाहें ।

२ । जब अंतरंग सभा चाहे ।

३ । जब आर्य्यसभासदों का बीसवां अंश इस निमित्त मंत्री के पास लिख कर पत्र भेजे ॥

ख । इस सभा के होने के समय आदि का विज्ञापन समयानुकूल पहिले दिया जावेगा ॥

अंतरंग सभा ।

११ । समाज के सब कार्य्यों के प्रबंध के लिये एक अंतरंग सभा नियुक्त की जावेगी ; और इस में तीन प्रकार के सभासद

होंगे अर्थात (१) प्रतिनिधि, (२) प्रतिष्ठित, और (३) अधिकारी।

१२। प्रतिनिधि सभासद अपने अपने समुदायों के प्रतिनिधि होंगे और उन्हें उन के समुदाय नियत करेंगे। कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है॥

१३। प्रतिनिधि सभासदों के विशेष काम ये होंगे :—

क। अपने अपने समुदायों की सम्मति से अपने को विज्ञ रखना।

ख। अपने अपने समुदायों को अंतरंग सभा के काम जो की प्रकट करने के योग्य हों बतलाना।

ग। अपने अपने समुदायों से चंदा इकट्ठा कर के कोशाध्यक्ष को देना॥

१४। प्रतिष्ठित-सभासद विशेष गुणों के कारण प्रायः वार्षिक वा नैमित्तिक साधारण सभा में नियत किये जावेंगे। प्रतिष्ठित सभासद अंतरंग-सभा में एक तिहाई से अधिक न होंगे।

१५। वर्ष वर्ष के पीछे अंतरंग सभा के प्रतिष्ठित सभासद और अधिकारी वार्षिक साधारण सभा में फिर से नियत किये जायंगे। और कोई पुराना प्रतिष्ठित सभासद और अधिकारी पुनर्वार नियत हो सकेगा॥

१६। जब वर्ष के पहिले किसी प्रतिष्ठित सभासद वा अधिकारी का स्थान रिक्त (खाली) हो तो अंतरंग सभा आप ही उस के स्थान पर किसी और योग्य पुरुष को नियत कर सकेगी।

१७। अंतरंग सभा कार्य्य के प्रबंधनिमित्त उचित व्यवस्था बना सकती है परन्तु वे आर्य्य समाज के नियमों और उप नियमों से विरुद्ध न हों॥

१८। अंतरंग सभा किसी विशेष काम के करने और सोचने के लिये अपने में से सभासदों और विशेष गुण रखने वाले और सभासदों को मिला कर उप सभा नियत कर सकती है।

१९। अंतरंग सभा का कोई सभासद मंत्री को एक सप्ताह पहिले विज्ञापन दे सकता है कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जावे और वह (विषय) प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जावेगा। परन्तु जिस विषय के निवेदन करने में अंतरंग सभा के पांच सभासद सम्मति दें वह अवश्य निवेदन करना ही पड़ेगा॥

२०। दो सप्ताह के पीछे अंतरंग सभा एक वेर अवश्य हुआ करेगी; और मंत्री और प्रधान की आज्ञा से; वा जब अंतरंग सभा के पांच सभासद मंत्री को पत्र लिखें तो भी हो सकती है।

अधिकारी।

२१। अधिकारी पांच प्रकार के होंगे:—

(१) प्रधान, (२) उप प्रधान, (३) मंत्री, (४) कोशाध्यक्ष, (५) पुस्तकाध्यक्ष॥

२२। मंत्री, कोशाध्यक्ष, और पुस्तकाध्यक्ष इन के अधिकारों पर

आवश्यकता होने से एक से अधिक पुरुष भी नियत हो सकते हैं ; और जब कि किसी अधिकार पर एक से अधिक पुरुष नियत हों तो अंतरंग सभा उन्हें काम बांट देगी ॥

प्रधान ।

२३ । प्रधान के, नीचे लिखे अधिकार, और काम होंगे:—

१ । प्रधान अंतरंग सभा और समाज की और सब सभाओं का सभापति समझा जावेगा ॥

२ । सदा समाज के सब कामों के यथावत प्रबंध करने में और सर्वथा समाज की उन्नति और रक्षा में तत्पर रहेगा ; समाज के प्रत्येक कामों को देखेगा कि वे नियमानुसार किये जाते हैं वा नहीं और स्वयं नियमानुसार चलेगा ॥

३ । यदि कोई विषय कठिन और आवश्यक प्रतीत हो तो उस का यथोचित प्रबंध उसी समय करे । और उस के बिगड़ने में उत्तर दाता वही होगा ॥

४ । प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाओं का जिन्हें कि अंतरंग सभा संस्थापन करे सभा सद होगा ॥

उपप्रधान ।

२४ । उपप्रधान प्रधान के अनुपस्थित होने पर उस का प्रतिनिधि होगा । यदि दो वा अधिक उपप्रधान हों तो सभा की सम्मति अनुसार उन में से कोई एक प्रतिनिधि किया जायगा ॥

परन्तु समाज के सब कामों से प्रधान को सहायता देनी उस का मुख्य काम होगा ॥

मंत्री ।

२५ । मंत्री के नीचे लिखे गये अधिकार और काम होंगे:—

१ । अंतरंगसभा की आज्ञानुसार समाज की ओर से सब के साथ पत्र व्यवहार रखना ; और समाज संबन्धी चिट्ठी और सब प्रकार के विशिष्ट पत्रों को सम्हाल कर रखना ॥

२ । समाज की सभाओं का वृत्तान्त लिखना और दूसरी सभा होने से पहिले ही उस को वृत्तान्त पुस्तक से लिखना वा लिखवा देना ॥

३ । मासिक अंतरंग सभाओं में उन आर्य्यों वा आर्य्य सभासदों के नाम सुनाया करना जो पिछली मासिक सभा के पीछे आर्य्य समाज में प्रविष्ट हुए हों वा उस से पृथक हुए हों ।

४ । सामान्य प्रकार से समाज के भृत्यों के काम पर दृष्टि रखना ; और समाज के नियम, उपनियम और व्यवस्थाओं के पालन पर ध्यान रखना ॥

५ । पाठशाला की उपसभा के आज्ञानुसार पाठशाला का सामान्य प्रकार से प्रबन्ध करना ॥

६ । इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक आर्य्यसभासद किसी न किसी समुदाय में हो ; और इस का कि प्रत्येक समुदाय ने अपनी ओर से अंतरंग सभा में प्रतिनिधि दिया हो ॥

७। पहिले विज्ञापन दिये जाने पर माननीय पुरुषों को सभा में सत्कार पूर्वक बैठाना ॥

८। प्रत्येक सभा में नियत काल पर आना और बराबर ठहरना ॥

कोषाध्यक्ष।

२६। कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और काम होंगे:—

१। समाज के सब आय धन का लेना, उस की रसीद देना और उस को यथोचित रखना ॥

२। किसी को अंतरंग सभा की आज्ञा बिना रुपैया न देना; बरन मंत्री और प्रधान को भी उस परिमाण से जितना कि अंतरंग सभा ने उन के लिये नियत किया हो अधिक न देना। और उस धन के उचित व्यय के लिये वही अधिकारी जिस के द्वारा वह व्यय हुआ हो उत्तर दाता होगा ॥

३। सब धन के आय व्यय का रीति पूर्वक बही खाता रखना; और प्रतिमास अंतरंगसभा में हिसाब की बही खाते समेत परताल और स्वीकार के लिये निवेदन करना ॥

पुस्तकाध्यक्ष।

२७। पुस्तकाध्यक्ष के अधिकार और काम ये होंगे:—

पुस्तकालय में जो समाज की स्थिर पुस्तक और विक्रेय पुस्तक हों उन सब की रक्षा करे; और पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब किताब रक्खे; और पुस्तकों के लेने, देने, संगवाने और बेचने का काम भी करे ॥

लिखित ।

२८। सब आर्य्यसभासदों की सम्मति पत्र द्वारा निम्न लिखित दशाओं में ली जायगी:—

१। जब अंतरंग सभा का यह निश्चय हो कि समाज की भलाई के लिये किसी साधारण सभा के सिद्धान्त पर निर्भर न करना चाहिये, बरन सब आर्य्य सभा सदों की सम्मति जाननी चाहिये।

२। जब सब आर्य्यसभासदों का बीसवां वा अधिक अंश इस निमित्त मंत्री के पास पत्र लिख कर भेजे।

३। जब बहुत से व्यय सम्बन्धी वा प्रबन्ध सम्बन्धी, वा नियम वा व्यवस्थासम्बन्धी कोई मुख्य प्रस्ताव करना हो; अथवा जब अंतरंग सभा सब आर्य्यसभासदों की सम्मति जाननी चाहे॥

२९। जब किसी सभा से वा थोड़े से समय के लिये कोई अधिकारी उपस्थित न हो, तो उस के स्थान में उस समय के लिये किसी योग्य पुरुष को अंतरंग सभा नियत कर सकती है॥

३०। यदि किसी अधिकारी के स्थान पर वार्षिक साधारण सभा में कोई पुरुष नियत न किया जावे तो जब तक उस के स्थान पर कोई और नियत न किया जाय वही अधिकारी अपना काम करता रहेगा॥

३१। सब सभा और उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करेगा और उस को सब आर्य्य सभा सद देख सकेंगे।

३२। सब सभाओं का काम तब प्रारम्भ होगा जब एक तिहाई सभासद उपस्थित हों ॥

३३। सब सभाओं और उपसभाओं के सारे काम बहुमताधुसार निश्चित होंगे ॥

३४। आय का दशांश उसुदाय धन में रक्खा जावेगा ॥

३५। सब आर्य, और आर्यसभासदों को संस्कृत वा आर्य-भाषा (हिन्दी) जाननी चाहिये ॥

३६। सब आर्य और आर्य सभासदों को उचित है कि साथ और आनन्द समय समाज पर भी दृष्टि रक्खें ॥

३७। सब आर्य और आर्य सभासदों को उचित है कि शोक और दुःख के समय में परस्पर सहायता करें; और आनन्द उत्सव में निमंत्रण पर सहायक हों। और छोटाई बड़ाई न गिनें ॥

३८। कोई आर्य भाई किसी हेतु से अनाथ हो जावे वा किसी की स्त्री विधवा वा सन्तान अनाथ हो जावे अर्थात् उस का किसी प्रकार जीवन न हो सकता हो और यदि आर्य समाज इस को निश्चित जान ले, तो आर्य समाज उस की रक्षा में यथाशक्ति यथोचित प्रबंध करे ॥

३९। यदि आर्य समाज में किसी का आपस में झगड़ा हो तो उन को योग्य होगा कि वे उस को आपस में समझ लें वा आर्य समाज की न्याय उपसभा द्वारा उस का न्याय करा लें ॥

४०। यह उपनियम वर्ष वर्ष पीछे यथोचित विज्ञापन देने पर शोधे वा बढ़ाए घटाए जा सकते हैं ॥

इति ॥

गुरु विरजान...
सन्दर्भ प...
पु परिग्रहण क्रमांक 3807
दयानन्द महिला महा...